

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प 10 (12)नविवि / 3 / 2010

जयपुर, दिनांक: 02.02.2010

**अधिसूचना**

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा (3) की उप धारा(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर, को नीमकाथाना (जिला सीकर) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्रम सम्मिलित हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

क्र.स.	ग्राम का नाम	तहसील
1.	चला की ढाणी	नीमकाथाना
2.	महावा	"
3.	भेराला	"
4.	नीमोद	"
5.	खादरा	"
6.	मानपुरा	"
7.	जगतसिंहनगर	"
8.	बल्लभदासपुरा	"
9.	हीरानगर	"
10.	नीमकाथाना शहर	"
11.	नीमकाथाना ग्रामीण	"
12.	मालनगर	"
13.	कुरबड़ा	"
14.	आगवाड़ी	"
15.	राजनगर	"
16.	चक चारावास	"
17.	गोडावास	"
18.	केरवाली	"
19.	मण्डोली	"
20.	गोरधनपुरा	"
21.	राणासर	"
22.	नयाबास	"
23.	सिरोही	"

राज्यपाल के आदेश से

**(पुरुषोत्तम बियाणी)**  
**शासन उप सचिव**

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जौन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, सीकर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नीमकाथाना।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)  
उप नगर नियोजक